भारत सरकार
गृह मंत्रालय
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 3596
दिनांक 02 अप्रैल, 2025 / 12 चैत्र, 1947 (शक) को उत्तर के लिए

महानगरीय क्षेत्रों में आत्महत्या की बढ़ती घटनाएं

3596 # श्री रामजी लाल सुमनः

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विगत तीन वर्षों में आत्महत्या की घटनाओं का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) आत्महत्याओं के मामलों में से कितने मामले आर्थिक तंगी से जुड़े हैं; और

(ग) क्या सरकार आत्महत्याओं के आंकड़ों का अध्ययन कराकर कोई ऐसा तंत्र विकसित करने पर विचार करेगी जिससे इनमें कमी लाई जा सके ?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री नित्यानंद राय)

(क) और (ख): राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) आत्महत्याओं के कारण होने वाली मौतों से संबंधित सूचना का संकलन एवं प्रकाशन अपने प्रकाशन "भारत में आकस्मिक मौतें और आत्महत्याएं" में करता है। प्रकाशित रिपोर्ट वर्ष 2022 तक उपलब्ध हैं। एनसीआरबी द्वारा प्रकाशित सूचना के अनुसार, वर्ष 2022 के दौरान देश में आत्महत्याओं तथा दिवालियापन या ऋणग्रस्तता के कारण की गई आत्महत्याओं का राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार विवरण अनुलग्नक में दिया गया है।

(ग): मानसिक विकारों की समस्या से निपटने के लिए केंद्र सरकार राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम (एनएमएचपी) लागू कर रही है। एनएमएचपी के जिला मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम (डीएमएचपी) घटक को 767 जिलों में लागू करने के लिए मंजूरी दी गई है, जिसके लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के माध्यम से राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सहायता प्रदान की जाती है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य आत्महत्या रोकने संबंधी सेवाएं उपलब्ध

राज्य सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 3596, दिनांक 02.04.2025

कराना, कार्यस्थल पर तनाव प्रबंधन, स्कूलों और कॉलेजों में जीवन कौशल प्रशिक्षण और परामर्श; जिला स्वास्थ्य देखभाल प्रदायगी प्रणाली के विभिन्न स्तरों पर रोकथाम, संवर्धन और दीर्घकालिक सतत देखभाल युक्त मानसिक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना तथा मानसिक स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं की प्रदायगी में सामुदायिक जागरूकता और भागीदारी प्रदान करना है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र स्तरों पर डीएमएचपी के तहत उपलब्ध कराई जाने वाली सुविधाओं में अन्य बातों के साथ-साथ बाह्य रोगी सेवाएं, मूल्यांकन, परामर्श/मनो-सामाजिक अंतक्षेप, गंभीर मानसिक विकारों वाले व्यक्तियों को निरंतर देखभाल और सहायता, दवाएं, आउटरीच सेवाएं, एम्बुलेंस सेवाएं आदि शामिल हैं। उपरोक्त सेवाओं के अलावा जिला स्तर पर 10 बिस्तरों वाली इन पेशेंट सुविधा का प्रावधान है।

सरकार प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा स्तर पर मानसिक स्वास्थ्य सेवा केंद्रों को मजबूत करने के लिए भी कदम उठा रही है और 1.73 लाख से अधिक उप स्वास्थ्य केंद्रों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को आयुष्मान आरोग्य मंदिरों में अपग्रेड किया है। इन आयुष्मान आरोग्य मंदिरों में प्रदान की जाने वाली व्यापक प्राथमिक स्वास्थ्य परिचर्या के तहत सेवाओं के पैकेज में मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं को भी जोड़ा गया है। आयुष्मान भारत के दायरे में आयुष्मान आरोग्य मंदिरों में मानसिक, तंत्रिका संबंधी और पदार्थ उपयोग विकारों के बारे में परिचालन दिशानिर्देश जारी किए गए हैं।

सरकार ने नवंबर, 2022 में राष्ट्रीय आत्महत्या रोकथाम कार्यनीति भी जारी की है जो स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की वेवसाइट पर उपलब्ध है।

सरकार ने देश में गुणवत्तापूर्ण मानसिक स्वास्थ्य परामर्श और देखभाल सेवाओं तक पहुँच को और बेहतर बनाने के लिए दिनांक 10 अक्टूबर, 2022 को एक "राष्ट्रीय टेली मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम" शुरू किया है। 19.03.2025 तक, 36 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने 53 टेली मानस प्रकोष्ठ स्थापित किए हैं और टेली मानसिक स्वास्थ्य सेवाएँ शुरू की हैं। हेल्पलाइन नंबर पर 19,67,000 से अधिक कॉल संभाली गई हैं। सरकार ने विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस (10 अक्टूबर, 2024) के अवसर पर टेली मानस मोबाइल एप्लिकेशन भी लॉन्च

किया है। टेली-मानस मोबाइल एप्लिकेशन एक व्यापक मोबाइल प्लेटफॉर्म है जिसे मानसिक स्वास्थ्य से लेकर मानसिक विकारों तक के मुद्दों के लिए सहायता प्रदान करने के लिए विकसित किया गया है।

*****

राज्य सभा अतारांकित प्र.सं. 3596, दिनांक 02.04.2025

अनुलग्नक

वर्ष 2022 के दौरान देश में कुल आत्महत्याओं तथा दिवालियापन या ऋणग्रस्तता के कारण की गई आत्महत्याओं की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार संख्या

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	कुल आत्महत्याओं की संख्या	दिवालियापन या ऋणग्रस्तता के कारण की गई आत्महत्याओं की संख्या
1	आंध्र प्रदेश	8908	912
2	अरुणाचल प्रदेश	149	0
3	असम	3320	52
4	बिहार	702	0
5	छत्तीसगढ़	8446	24
6	गोवा	302	10
7	गुजरात	9002	152
8	हरियाणा	3783	3
9	हिमाचल प्रदेश	644	1
10	झारखंड	2181	14
11	कर्नाटक	13606	1401
12	केरल	10162	242
13	मध्य प्रदेश	15386	36
14	महाराष्ट्र	22746	1941
15	मणिपुर	26	0
16	मेघालय	213	0
17	मिजोरम	153	3
18	नागालैंड	49	4
19	ओडिशा	6140	28
20	पंजाब	2441	109
21	राजस्थान	5343	13
22	सिक्किम	293	1
23	तमिलनाडु	19834	844
24	तेलंगाना	9980	1163
25	त्रिपुरा	713	1
26	उत्तर प्रदेश	8176	42
27	उत्तराखंड	814	0
28	पश्चिम बंगाल	12669	0
	कुल (राज्य)	**166181**	**6996**
29	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	171	2
30.	चड़ीगढ़	131	0
31	दादरा और नगर हवेली तथा दमण और दीव	205	5
32	दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र	3417	28
33	जम्मू एवं कश्मीर	323	3
34	लद्दाख	13	0
35	लक्षद्वीप	2	0
36	पुदुचेरी	481	0
	कुल (संघ राज्य क्षेत्र)	4743	38
	कुल (अखिल भारत)	**170924**	**7034**

राज्यों /संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ो के अनुसार
स्रोतः भारत में आकस्मिक मौतें एवं आत्महत्याएँ